

Gems No. 2022/294

LR
31/10/22

सेवामें,

दुकान नंबर 51/2022

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

रायपुर

अनवान

प्रार्थी

अप्रार्थी

राजस्थान सरकार

1. श्यामसुंदर श्रीलाराम, श्यामादेवी श्रीश्याम-

जरिये भूमिधारी

सुंदर

तहसीलदार रायपुर

2. रोहित चैष्वाव श्री श्यामसुंदर
जाति चैष्वाव निवासी बर

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 वास्ते तरमीम दुरुस्ती

महोदय,

1. निवेदन है कि अप्रार्थी श्यामसुंदर, श्यामादेवी, रोहित निवासी बर के नाम से ग्राम बर पटवार मंडल बर तहसील रायपुर जिला पाली के नाम से खातेदारी भूमि अवस्थित है।

अप्रार्थी की पैरा एक में वर्णित भूमि की तरमीम वक्त सेग्रिगेशन गलत स्थान पर सहवन से करदी गई जिसे दुरुस्त किया जाना है।

पटवारी हल्का बर एवं भू अ.नि. बर की रिपोर्ट अनुसार तरमीम शुद्धि के आदेश फरमाया जावे।

जे.प्र. रायपुर


तहसीलदार रायपुर
जिला-पाली (राज०)

690
02/11/2022


फर्दमौका

आज दिनांक 20.10.22 को ग्राम वर के खसरा संख्या 508, 508/1, 508/2, 508/3
रकबा जमाबन्दी किस्म जमाबन्दी खातेदार श्यामसुंदर चव्हेर
कौम का मौका देखा। मौके अनुसार खातेदारान का निम्नांकित नक्शा अनुसार
कब्जा काशत है।

नजरीनक्शा



वर्तमान तरमीम जो गलत है।



सही स्थान पर प्रस्तावित तरमीम

मौका / नक्शा लट्ठा अनुसार तरमीम शुद्धि प्रस्तावित है।

- संलग्न-1. नकल जमाबन्दी
2. गत नक्शा की प्रति
3. वर्तमान नक्शा की प्रति

हस्ताक्षर गवाहान

हस्ताक्षर पटवारी

Amrath

24/11
Rouit

रिपोर्ट भू अ. निरीक्षक

पटवारी हल्का वर की फर्द मौका अनुसार मेरे द्वारा मौका जांच करली
गई है। वर्तमान मौका एव पटवारी हल्का के पास उपलब्ध नक्शा लट्ठा अनुसार प्रस्तावित स्थान पर
तरमीम किया जाना उचित है। पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका फर्द एवं पुराना नक्शा के स्कैन
508, 508/1, 508/2, 508/3 की प्रमाणित प्रति संलग्न हैं। इसी अनुसार मिलान किया
गया।


हस्ताक्षर भू अ. निरीक्षक

12/10/2022

क्रमांक 1201/101/2022/2720 dt. 31.10.22

तहसीलदार (भूमिधारी) की अनुशंषा

रिपोर्ट पटवारी हल्का बर जांच भू अ. नि. बर
के आधार पर तरमीम शुद्धि की अनुशंषा की जाती है।



तहसीलदार रायपुर
जिला-पाली (राज.)

मुकदमा नंबर 51/2022

आदेश

तहसीलदार (भूमिधारी) रायपुर की अनुशंषा के अनुसार ग्राम बर के खसरा संख्या 508, 508, 508, 508 रकबा जमाने की शुद्धि की वर्तमान तरमीम के स्थान पर प्रस्तावित तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रायपुर पालना कर, पालना प्रस्तुत करें।




उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)
रायपुर